



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध ज़मानत प्रार्थना पत्र सं० - 1031/2026

विनीता

.....प्रार्थिनी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : राजीव रमन श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ., प्रदीप कुमार त्रिपाठी, शिवांगी पांडेय

न्यायालय संख्या- 13

माननीय न्यायमूर्ति, सौरभ लवानिया

1. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी की ओर से, अपराध संख्या 374/2025 अंतर्गत, धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 थाना-रामकोट, जिला-सीतापुर, के मामले में ज़मानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. इस प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए, प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थिनी निर्दोष है और उपरोक्त मामले में उसे झूठा फंसाया गया है।
4. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थिनी विनीता का पुत्र अर्पित और अंजनी रावत (मृतका) के बीच प्रेम-संबंध था; और इस तथ्य का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ने दिनांक 27.04.2025 को आर्य समाज मंदिर, शिवपुरी कमता, चिनहट, लखनऊ में विवाह संपन्न किया था। इस संबंध में ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न संलग्नक संख्या 2 का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संदर्भ दिया गया है, जो आर्य समाज मंदिर, शिवपुरी कमता, चिनहट, लखनऊ द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति है।

5. उपरोक्त के क्रम में, यह कहा गया है कि प्रार्थिनी के पुत्र अर्पित और मृतका के बीच प्रेम विवाह हुआ था, इस तथ्य का अनुमान इस न्यायालय के दिनांक 02.05.2025 के उस आदेश से भी लगाया जा सकता है, जो अंजनी रावत (मृतका) और एक अन्य (अर्पित कुमार) द्वारा दायर आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3714/2025 में पारित किया गया था। दिनांक 02.05.2025 के जिस आदेश का संदर्भ दिया गया है, उसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री शिखर बोरा, तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस रिट याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें विपक्षीयों को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें और उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें।

3. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह किया है, और यह भी दावा है कि उनका विवाह 27.04.2025 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार आर्य समाज मंदिर, शिवपुरी कमता, चिनहट, लखनऊ में हुआ था। आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को रिट याचिका के साथ संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपना हाई स्कूल का अंक पत्र और आधार कार्ड संलग्न किया है, और याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अपनी उम्र के प्रमाण के तौर पर अपना 'आधार कार्ड' और हाई स्कूल का अंक पत्र रिट याचिका के साथ क्रमशः संलग्नक-2 और 3 के रूप में संलग्न किया है। वे एक शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है और न ही वे किसी आपराधिक मामले में वांछित हैं; इसके बावजूद, उनके परिवार के सदस्यों जो इस विवाह से सहमत नहीं हैं, के आदेश पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। अतः यह याचिका 'परमादेश रिट' जारी करने की मांग के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसमें विपक्षीगणों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह भी वचन देते हैं कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह की अवधि के भीतर विवाह को उ०प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के तहत पंजीकृत करवा देंगे।

6. उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए मामला विचारार्थ बनता है।

7. विपक्षी संख्या 4 को नोटिस जारी हो।

8. कार्यालय, कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई अनुगमन आख्या संलग्न करके तामीला आख्या प्रस्तुत करेगा।

9. विद्वान् अ.शा.अ. को अपने निर्देश पूरे करने का निर्देश दिया जाता है।

10. इस मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाये।

11. इस बीच, यह प्रावधानित किया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने आपस में विवाह कर लिया है और साथ रह रहे हैं, विवाह के समय वे विवाह योग्य आयु के थे, और किसी भी आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो पुलिस उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगी।

7. आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थिनी, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 24.12.2025 से जेल में है; और इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रार्थिनी मृतका की सास है।

8. आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि यह आत्महत्या का मामला है। मृतका ने किन कारणों से आत्महत्या की, यह बात वही सबसे अच्छी तरह जानती थी। इस स्तर पर, शव-विच्छेदन करने वाले शव-चिकित्सक की राय का संदर्भ दिया जाता है, जिन्होंने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण "दम घुटना है, जो "मृत्यु से पूर्व फांसी लगाने" के कारण हुआ।

9. आगे यह भी निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में पति के पूरे परिवार को केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप लगाकर फंसाने की प्रवृत्ति की बार-बार निंदा की है, जैसे कि **गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, प्रकाशित (2012) 10 एस.सी.सी. 741; कहकशां**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कौसर बनाम बिहार राज्य, प्रकाशित (2022) 6 एस.सी.सी. 599 ; अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, प्रकाशित 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 759; पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य व अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3473; सफिया बानो उर्फ शकीरा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 222; और मामिडी अनिल कुमार रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 127।

10. इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य' (आपराधिक अपील संख्या 592-एस बी, 1997, निर्णीत दिनांक 27-5-2008, (पी & एच) मामले में दिए गए निर्णय का भी संज्ञान लिया, जिसके अनुसार *"कोई महिला विभिन्न कारणों से आत्महत्या का प्रयास कर सकती है—जैसे कि अवसाद, आर्थिक कठिनाइयाँ, प्रेम में निराशा, घरेलू चिंताओं से ऊब जाना, गंभीर या पुरानी बीमारियाँ आदि—और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा किसी के उकसाने के कारण ही हो।"*
11. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थिनी को उचित उपचार की आवश्यकता है, जो जेल में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह मष्तिस्क गाँठ से पीड़ित है।
12. पूछे जाने पर, विद्वान अ.शा.अ. ने अधीक्षक, जिला जेल, सीतापुर के कार्यालय की दिनांक 17.03.2026 की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख पर लिया गया है। उक्त निर्देश, प्रार्थिनी की बीमारी के संबंध में प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन करते हैं।
13. निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थिनी —जो 24.12.2025 से जेल में है—जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी, और अभियोजन पक्ष के साक्षियों को भी प्रभावित नहीं करेगी।
14. विद्वान् अ.शा.अ. ने प्रार्थिनी की प्रार्थना का विरोध किया। तथापि, वे प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
15. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अ.शा.अ. द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, तथा प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की सामग्री का अवलोकन करने के बाद; और इस तथ्य को भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थिनी एक महिला है और मष्तिस्क गाँठ रोग से पीड़ित है, साथ ही यह तथ्य भी कि प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.12.2025 से जेल में है; और यह भी कि सह-अभियुक्त अर्पित और मृतका के बीच प्रेम विवाह हुआ था; तथा मामले के गुण-दोष में जाए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि प्रार्थना पत्र में सार है और तदनुसार, इसे **स्वीकार** किया जाता है।

16. प्रार्थिनी **विनीता** को उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार (जिनमें से एक परिवार का सदस्य हो) प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

- I. प्रार्थिनी विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगी।
 - II. प्रार्थिनी सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - III. प्रार्थिनी अभियोजन साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें डराएगी-धमकाएगी नहीं।
 - IV. प्रार्थिनी कोई अपराध नहीं करेगी।
 - V. प्रार्थिनी, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - VI. प्रार्थिनी निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।
 - VII. प्रार्थिनी, साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगी।
 - VIII. प्रार्थिनी, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगी।
17. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि अनुरूप आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. चूँकि यह आदेश प्रार्थिनी को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

17 मार्च, 2026

प्रीति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।